

भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खण्ड-3, उपखंड §i§ में दिनांक  
को प्रकाशनार्थ

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
राजस्व विभाग  
§ विदेश कर प्रभाग §

नई दिल्ली, दिनांक 17 दिसम्बर, 1997

अधिसूचना

§ आय-कर §

सा0का0नि0      §अ§ घुंकि आय और पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और आर्थिक अपव्ययन की रोकथाम के लिए स्वीडन किंगडम की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच हुआ अनुबंधित अभिसमय उक्त अभिसमय के अनुच्छेद 30 के अनुसार उक्त अभिसमय को लागू करने के लिए दोनों संविदाकारी राज्यों द्वारा अपने-अपने कानूनों के अन्तर्गत अपेक्षित कार्रवाइयों को पूरा करने के बारे में एक-दूसरे के लिए जारी की गई अधिसूचनाओं में से पश्चातवर्ती अधिसूचना के प्राप्त होने के तीस दिन के पश्चात      अर्थात् दिसंबर, 1997 के पच्चीसवें दिन को प्रवृत्त हो गया है;

इसलिए, अब आयकर अधिनियम, 1961 §1961 का 43§ की धारा 90 और धनकर अधिनियम, 1957 §1957 का 27§ की धारा 44-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा यह निर्देश देती है कि उक्त अभिसमय के सभी उपबंध भारत संघ में लागू होंगे ।

अनुच्छेद - 2

अभिसमय के अंतर्गत आने वाले कर

1. यह अभिसमय उन करों पर लागू होगा जो एक संविदाकारी राज्य अथवा उसके राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरणों की ओर से आय तथा पूंजी पर लगाए जाते हैं, चाहे ये कर किसी भी प्रकार से लगाए जाएं ।
2. सकल आय, सकल पूंजी पर अथवा आय अथवा पूंजी के तत्वों पर लगने वाले सभी कर आय तथा पूंजी पर लगने वाले करों के रूप में माने जायेंगे जिनमें चल अथवा अचल सम्पत्ति के अन्तरण से प्राप्त अभिलाषों पर लगने वाले करों, उद्यमों द्वारा अदा किए गए वेतनों तथा मजदूरियों की सकल रकम पर लगने वाले कर तथा साथ ही साथ पूंजी वृद्धि पर लगने वाले करों की राशि भी शामिल है।
3. जिन वर्तमान करों पर यह अभिसमय लागू होगा वे विशेषकर इस प्रकार हैं :
  - § क § भारत में :
    - § i § आयकर और उस पर लगने वाला कोई अधिभार ; तथा
    - § ii § पूंजी पर कर § धनकर § ;
    - § जिसे इसके बाद "भारतीय कर" कहा जाएगा § ;
  - § ख § स्वीडन में :
    - § i § राष्ट्रीय आयकर § डेन स्टेटलिंग इनकोस्केटन § सहित आयकर जिसमें समुद्र पर कार्यरत कर्मचारियों पर कर सहित § सजोमेनस्केटन § और लाभान्शों पर रोके गए कर सहित § कुर्पोगस्केटन § ;
    - § ii § अनिवासियों पर आयकर § डेन सरकिल इनकोस्केटन फोर यूटोलैंड बोसट्टा § ;
    - § iii § अनिवासी कलाकारों और खिलाड़ियों पर आयकर § डेन साररिक्लिइन-कोस्केटन फोर यूटोलैंड बोसट्टा आर्टिस्टर मुफला § ;
    - § iv § नगर आयकर § डेन कोम्युनाला इनकोम स्केटन § ;
    - § i § प्रसार प्रयोजनों के लिए अभिप्रेत साधन पर कर § एक्सपेंशन मेडलस्केट § ;
    - § ii § निवल घन कर :
    - § जिसे इसके बाद "स्वीडिश कर" कहा जाएगा § ।